



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 अग्रहायण 1947 (श10)
(सं0 पटना 1763) पटना, बुधवार, 10 दिसम्बर 2025

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना
10 दिसम्बर 2025

संख्या-01/सां०सु०-MBNY-01/2024-2786/सं०क०—बिहार भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1951 (अधिनियम 1, 1951) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार, बिहार भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली 1954 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ-

- इस नियम को “बिहार भिक्षावृत्ति निवारण (संशोधन) नियमावली 2025” कहा जा सकेगा।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- यह अधिसूचना बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. बिहार भिक्षावृत्ति निवारण नियमावली 1954 के नियम 6(2)(ख) में संशोधन । - उक्त नियमावली के नियम 6(2) (ख) को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

चिकित्सा पदाधिकारी जहाँ आवश्यक हो, न्यायालय के अगले आदेशों तक कुष्ठ रोग या अन्य संक्रामक रोग से प्रभावित पाये गये या किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए यथास्थिति प्रमाणित गृह, विशेष गृह या कार्य गृह में व्यवस्था करेगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
बन्दना प्रेयषी,
सरकार के सचिव।

Social Welfare Department**Notification**
The 10th December 2025

No-01/SA. SU.-MBNY-01/2024-2786/SA.KA.—In Exercise of powers conferred upon by section 12 of the Bihar Prevention of Beggary Act 1951 (Act 1 of 1951) Government of Bihar makes the following rules to amend the Bihar Prevention of Beggary Rules 1954 :-

1. *Short Title, Extent and Commencement:*—

- i. These rules may be called as the “Bihar Prevention of Beggary (Amendment) Rules 2025”.
- ii. It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- iii. It shall come into force with effect from the date of publication of notification in official Gazette.

2. *Amendment of the Rule 6 (2) (b) of the Bihar Prevention of Beggary Rules 1954.*—

Rule 6 (2) (b) of the said rule shall be substituted as follows.

“The Medical Officer shall, where necessary, make arrangements in the Certified Home, Special Home, or Work House, as the case may be, for the immediate medical examination and treatment of any person found to be affected by leprosy or any other communicable disease, or suffering from any mental health condition, pending further orders of the Court.”

By the order of Governor of Bihar,
BANDANA PREYASHI,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1763-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>